राजस्व वाद 138/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/243
प्रतापसिंह बनाम् जगमालसिंह वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :138/2021

वादीगण–

1. प्रतापसिंह पुत्र जगमालसिंह
2. बुधाराम पुत्र जगमालसिंह, जातियान– जाट निवासीगण– मांगलोद ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. जगमालसिंह पुत्र चौथाराम, जातियान– जाट निवासीगण–मांगलोद ,तहसील जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार
3. सुमन पुत्री जगमालसिंह जातियान जाट, निवासी–मांगलोद

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री इन्द्रसिंह राठौड़ प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 व 3 श्री इन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मांगलोद तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. खेत खसरा नं. 188/1 रकबा 2.5090 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 189 रकबा 1.2383 हैक्टेयर, खसरा नंबर 708/1077 रकबा 1.1574 हैक्टेयर, खसरा नंबर 818 रकबा 1.6997 हैक्टेयर, खसरा नंबर 708 रकबा 1.5702 हैक्टेयर, खसरा नंबर 722 रकबा 1.6430 हैक्टेयर कुल 6 खसरे कुल रकबा 9.8176 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 को प्रवितादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

29/10/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वादीगण प्रतापसिंह व बुधाराम के संयुक्त हक वंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नं. 188/1 रकबा 2.5090 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 189 रकबा 1.2383 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 708/1077 रकबा 1.1574 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 818 रकबा 1.6997 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

2. प्रतिवादी संख्या 1 जगमाल के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 708 रकबा 1.5702 हैक्टेयर, खसरा नंबर 722 रकबा 1.6430 हैक्टेयर यथावत रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 सुमन ने अपना हक वंट अपने भाईयों के पक्ष में रख दिया है इसलिये मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना उचित है।

निर्णय आज दिनांक 29/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

29/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल—(नागौर)

तीज — मुबलिग — बाबत् —खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/10/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

29/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner